

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7-11/सात-1/पुनर्वास नीति/2013 नया रायपुर, दि. 07/01/2017
प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 में संशोधन बावत ।
संदर्भ:- मुख्य सचिव महोदय अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 47/सीएस/2017 दिनांक
06 जनवरी, 2017 तथा इस इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06
जनवरी, 2017

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 में संशोधन संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2017 की राजपत्रित प्रति भेजा गया है। उक्त प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में शब्द "linear" मुद्रण त्रुटिवश छूट गया है। उक्त अधिसूचना के स्थान पर दिनांक 04 जनवरी, 2017 को जारी तथा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया जिले के संबंधित भू-अर्जन अधिकारियों को अवगत करावें तथा इसका नियमानुसार पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

32.
(प्र.निहालीनी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-11/सात-1/पुनर्वास नीति/2013 नया रायपुर, दि. 07/01/2017
प्रतिलिपि:-

मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर राजपत्र दिनांक 4 जनवरी, 2017 की प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित है।

32.
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भित्ताई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2017 — पौष 14, शक 1938

राजस्व, आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-11/सात-1/पुनर्वास नीति/2013. — राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 की उप-कण्डिका-7.6 के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन उप-कण्डिका अन्तःस्थापित करता है :-

“7.7. रेखीय परियोजना में भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक खातेदार को भूमि के मुआवजा के अतिरिक्त, पुनर्वास अनुदान के रूप में इतनी राशि प्रदान किया जावे, जो भूमि के मुआवजा का 50 प्रतिशत के बराबर, जो अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक हो सकेगी. यह प्रावधान दिनांक 01-01-2014 के पश्चात् पारित रेखीय परियोजनाओं के समस्त भू-अर्जन तथा पुनर्वास के मामलों में लागू होंगे.”

No. F-7-11/Seven-1/Rehab Policy/2013. — The Government of Chhattisgarh, hereby, inserts new sub-para after sub-para 7.6 in Chhattisgarh Rajya ki Adarsh Punarvas Niti, 2007 :-

“7.7. In case of Land Acquisition for linear Projects the each affected land holders, amount shall be paid as rehabilitation grant in addition to amount of compensation, which shall be equal to 50% of the compensation amount subject to maximum limit of Rs. 5.00 Lakh. These provisions shall be effective for all the cases in which award has been passed on or after 01-01-2014.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.